न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/47

1. भंवरी बाई पत्नी स्व0 किशनलाल जाति मेहर निवीस सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. प्रहलाद पुत्र किशन लाल जाति मेहर निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बालमुकुन्द पुत्र किशनलाल जाति मेहर निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दयाराम पुत्र श्री किशनलाल जाति मेहर निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. शकुन्तला बाई पुत्री किशनलाल जाति मेहर निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. सवित्री बाई पुत्री किशनलाल जाति मेहन निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.01.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या 67 में कुल 04 किता की रकबा रकबा 4.01 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर के अनुसार वादीगण की वसीयत के अनुसार खसरा नम्बर 679 की 12 बीघा व खसरा नम्बर 681/902 की 12 बीघा 13 बिस्वा आराजी दर्ज है । उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके पिता द्वारा प्राप्त हुई है । वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादी कम 1 व 2 को वादी के पिता ने अपने

जीवनकाल में बेदखल कर दिया था तथा प्रतिवादी कम 3 व 4 वादी कम 2 की सगी बहिनें हैं जिनका विवाह वादी कम 1 व 2 के द्वारा कर दिया गया था तब से वे अपने ससुराल निवास कर रही हैं । वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी के हक में की गई वसीयत को जो दिनांक 19.12.05 को की गई थी, छुपा कर प्रतिवादी कम 1 ने गुपचुप तरीके से फोती इंतकाल तस्दीक करवा लिया क्योंकि प्रतिवादी कम 1 को पता चल गया भथा कि उसके पिता द्वारा उसको वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया गया है । इस फोती इंतकाल को नल एण्ड वोईड घोषित नहीं किया तो वादीगण न्याय प्राप्त करने से महरूम रह जावेगे । वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में तस्दीक किये गये फोती इंतकाल को प्रभावशून्य घोषित करवाये तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण कम 1 व 2 एवं प्रतिवादी कम 3 व 4 के हिस्से में आई भूमि का खातेदारी इंतकाल निष्प्रीावी घोषित किया जावे तथा वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

3. अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 इस प्रकार डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी वसीयत अनुसार वादीगण को प्राप्त हो तथा फोती इंतकाल को निष्प्रभावी घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का वादी कम 1 व 2 में हिस्सा अनुसार बंटवारा किया जाकर उसी अनुसार मौके पर दखल किया जावे व लगान राज भी पृथक–पृथक कायम किया जावे । प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी कम 1 शांति से काश्त करने दे तथा किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2015 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.01.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट का वाद वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अपने हिस्से तक के लिये प्रस्तुत किया गया था । उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई फाइडिंग नहीं दी है । वसीयत के दोनों गवाहों के शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रारम्भिक डिक्री करते हुए पक्षकारान के हिस्से तय किये जाने चाहिए थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान का किसी भी प्रकार का हिस्सा प्रारम्भिक डिक्री में तय नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.01.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के खिलाफ घोषणा विभाजन

एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिस्को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से निरस्त किया गया है । वसीयत के आधार पर माननीय न्यायालय ने कोई फाइडिंग नहीं दी है । वसीयत की वैधता एवं ग्राहयता के बारे में रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं । उक्त वसीयत पर अपीलान्टगण द्वारा प्रदर्श डाला गया । दोनों गवाहों के शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये थे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.01.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का पेश किया । दावे के साथ एक वसीयत की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2004–24 नया खाता संख्या 69 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 1.94 हैक्टर आराजी किशनलाल, श्यामलाल पिसरान मांग्या व शंकरी धर्म पत्नी स्व0 मांग्या के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2004–24 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 67 की खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.05 हैक्टर भूमि किशनलाल, वलद मांगीलाल के नाम खाते में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 1381 दिनांक 16.01.2004 एवं नामान्तरकरण संख्या 1694 दिनांक 16.11.2010 का नोट अंकित है जिसके अनुसार मृतक किशनलाल के स्थान पर वारिसान बालमुमुन्द, दयाराम प्रहलाद पुत्रान शकुन्तला बाई, सावित्री बाई बेवा भंवरी बाई के नाम संयुक्त खाते में दर्ज की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 74 में खसरा नम्बर 681/902 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि किशनलास वल्द मांगीलाल के नाम दर्ज है ।

9. वादी के द्वारा साक्ष्य में भंवरी बाई – पीडब्ल्यू– 1, का शपथ पत्र प्रहलाद पीडब्ल्यू–2 का शपथ पत्र, बाबूखॉ पीडब्ल्यू– 3 का शपथ पत्र एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– 1–ए, वसीयत की फोटो प्रति प्रदर्श– 2–ए, नकल जमाबन्दी संवत् 2004–24 प्रदर्श–03, नकल जमाबन्दी संवत् 2004–24 प्रदर्श– 4 पेश किये हैं ।

10. वादीगण ने यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण और प्रतिवादीगण के पिता एवं पति की सम्पत्ति है जिस पर वादी कम 2 काबिज है । वसीयत दिनांक 19.12.2005 को की गई । इस तथ्य को छुपाकर प्रतिवादी कम 2 ने फोती इंतकाल दर्ज करवा लिया है । तद्नुसार वसीयत के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे और आराजी का विभाजन किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो वसीयत की प्रति संलग्न है उसका अवलोकन किया गया इस वसीयत में साबिक खसरा नम्बर 679 की 12 बीघा 13 बिस्वा का हवाला है परन्तु वादी के द्वारा जो नकल जमाबन्दियां पेश की गई है वह हाल खसरा नम्बर की हैं । साबिक खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 681/902 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा की जमाबन्दी पेश की गई है और दूसरे खसरा नम्बर 679 की जमाबन्दी की नकले भी पेश नहीं की है । इस प्रकार वादी ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि वसीयत जिन खसरा नम्बरान के बाबत् लिखी गई है वो हाल खसरा नम्बरान जो वादग्रस्त से सम्बन्धित हैं।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयत में पुत्र वधु रामकन्या बाई को प्रहलाद के साथ खसरा नम्बर 679 की 12 बीघा आराजी दिया जाना अंकित है परन्तु रामकन्याबाई को पक्षकार नहीं

बनाया गया है । यह भी अंकित किया गया है कि वसीयत मुकिर और उनक पत्नी भंवरी की मृत्यु के बाद कारआमद होगी और भंवरी बाई अभी जीवित है । साथ ही दो गवाहों में से एक का शपथ पत्र पेश किया गया है । शपथग्रहितों ने न्यायालय में उपस्थित होकर इन शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है । वसीयत के गवाह बाबूखॉ ने जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें कहीं भी उन्होंने यह कथन नहीं किया है कि वसीयत के दूसरे गवाह रामलाल ने उनके समक्ष हस्ताक्षर किये थे और वसीयतकर्ता ने उनके समक्ष वसीयत पर हस्ताक्षर कर वसीयत को सही स्वीकार किया था । इस प्रकार बाबूखॉ के शपथ पत्र से वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधनियम के अनुसार प्रमाणित भी नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर वादीगण वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा का अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है वह विधि सम्मत है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री में पक्षकारों के हिस्से नहीं अंकित किये हैं जो कि आवश्यक हैं । अतः प्रारम्भिक डिक्री में हिस्से अंकित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.01.2015 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

दावा वादी अंशतः स्वीकार कर ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या नया 69 पुराना 68 की खसरा नम्बर 996 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 997 की रकबा 0.65 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 998 की 0.44 हैक्टर व खाता संख्या नया 67 पुराना 66 की खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.05 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा रकबा 4.01 हैक्टर भूमि में वादी कम 1 व 2 व प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 प्रत्येक के 1/6 हिस्से के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है । प्रतिवादी कम 5 को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान काश्तकारी मण्डल नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव परीक्षण न्यायालय में पेश करें । परीक्षण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त पक्षकारान को आपत्ति करने का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा